राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

फूलचन्द बनाम रामेश्वर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
19/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण के द्वारा हाल आराजी खसरा नं. 1289/0.25, 1295/0.35, 1256/0.20, 1283/0.15, 1247/0.37, 1249/0.21, 1271/0.21, 1277/0.40, 1286/0.10, 1287/0.04, 1288/0.42, 1252/0.48 कुल किता 12 रकबा 3.18 है. वाकै ग्राम-शाहपुरा, तह. शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी मुतनाजा प्रार्थी तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 4, 5 व 6 के प्रिता व पति मुरली व भगवाना के बराबर बराबर हिस्से व बंटवारे मे दर्ज खातेदारी एवं कब्जा काश्त रहा है तथा 1/2 भाग की भूमि मुरली के कब्जे काश्त व खातेदारी अधिकार में रही है तथा 1/2 भाग की खातेदारी भूमि भगवाना के कब्जे काश्त में है जिस पर भगवाना का ही कब्जा है तथा 1/2 हिस्से पर मुरली के फौत हो जाने के पश्चात तरतीबी प्रतिवादी सं0-4 ने राजस्व कर्मचारियों के समक्ष अपने पिता के फौत हो जाने के पश्चात फौत की नामान्तकरण (विरासत) के लिए समस्त प्रकार के दस्तावेजात तैयार कर आवेदन ऑनलाईन करवाकर विरासत का नामान्तकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रतिवादी सं. 4 द्वारा तैयार दस्तावेजात मय आवेदन पत्र फौतगी विरासत नामान्तकरण तहसीलदार-शाहपुरा के यहां प्रस्तुत किया गया है उक्त आवेदन मय मृत्यु प्रमाण पत्र, नगरपालिका-शाहपुरा में प्रस्तुत आवेदन पत्र मय शपथ पत्र बनवाया गया कुर्सीनामा आदि प्रस्तुत कर नामान्तकरण सं. 3480 दिनांक 30.06.2020 व 3309 दिनांक 01.05.2019 की तस्दीक किया गया है। उक्त आवेदन पत्र में प्रतिवादी सं.-4 द्वारा प्रस्तुत कुर्सीनामा मय आवेदन पत्र में भी प्रतिवादी सं.-1 को मुरली का वारिस माना है तथा उसे कहीं भी किसी भी दस्तावेज में गोद मुत्र नहीं माना गया है तथा प्रतिवादी सं. 1 को उसके स्कुल रिकार्ड, निर्वाचन रिकार्ड आदि में मुरलीधर की जायन्दा सन्तान ही माना है उसे कही में भगवान के दत्तक पुत्र के रूप में नहीं माना तथा न ही भगवाना ने प्रतिवादी सं. 1 प्रार्थी के दत्त्व पुत्र को हैसियत से ही अपने पास रखा है मुरलीधर के फौत हो जाने के पश्चात भी राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

फूलचन्द बनाम रामेश्वर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/4/2022		

प्रार्थी रामेश्वर ने भी अपने भाई के साथ मिलकर कियाकर्म खर्च तथा मुरलीधर के मृत्यु के पश्चात एक चबुतरे का निर्माण / उनकी यादगार में उनके सुपुत्र रामेश्वर, सीताराम, फूलचंद ने दिनांक 13.11.2014 को करवाया गया है। जिस पर एक शिलापट्ट लिखवाया गया है स्पष्ट हो जाता है कि रामेश्वर कभी भी भगवाना के गोद नहीं गया तथा न ही रामेश्वर को भगवाना ने दत्तक पुत्र मानकर अपने पास रखा है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में तरतीबी प्रतिवादी सं0-4 लगायत 6 ने उक्त वाद पत्र में वर्णित समस्त तथ्यों की स्वीकारोक्ति की है जबकि वाद पत्र के खण्ड सं0-3 में वादी ने स्पष्ट वर्णित किया है कि मुरलीधर एवं भगवाना दो सगे भाई है जिसके पिता रूघनाथ है भगवाना के ओरस पुत्र एवं पुत्री नहीं थे जिसके कारण भगवाना ने अपने भाई के पुत्र प्रतिवादी सं0-1 रामेश्वर को बाल्यावस्था में ही हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार गोद ले लिया था जबकि रामेश्वर के समस्त दस्तावेजात में दत्तक पुत्र के रूप में नहीं दर्शाया गया है जिसका कोई रिकार्ड नहीं है प्रस्तुत दस्तावेजात में तथा मुरली के विरासत नामान्तकरण में भी मुरली को ही पुत्र माना गया है जिसके समस्त दस्तावेजात तरतीबी प्रतिवादी सं0-4 द्वारा रचित किये गये है तथा उक्त तरतीबी प्रतिवादी सं० 4 लगायत 6 ने उक्त वाद पत्र की स्वीकारोक्ति कर समर्थन किया है। इसलिए भी यह वाद पत्र चलने योग्य नहीं है। वादपत्र में रामेश्वर के रजिस्टर्ड गोदनामा होना बताया है। गोदनामा रजिस्टर्ड करने से पूर्व पुत्र के दत्तक देने के समय उसकी अधिकतम आयु 13 वर्ष तथा उसके प्राकृतिक माता-पिता की सहमति तथा बत्तक लेने वाले माता-पिता की सहमति आवश्यक है प्रार्थी रामेश्वर की प्राकृतिक माता-पिता की कोई सहमति नहीं है इसलिए गोदनाम रजिस्टर्ड शुन्य व अवैध माने जाने योग्य है। रामेश्वर प्रार्थी की बाल्यावस्था एवं हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार किसी के पिता के सबसे बडे पुत्र को गोद नहीं दिया जाता क्योंकि किसी व्यक्ति की मृत्यु पश्चात कियाकर्म बड़ा पुत्र ही करता है इसलिए वाद पत्र चलने योग्य नहीं है।

जिस पर वादीगण/अप्रार्थीगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी /प्रतिवादी सं. 1 रामेश्वर बाल्यअवस्था में ही हिन्दू रिती रिवाज के अनुसार भगवाना के गोद चला गया था इसके पश्चात रामेश्वर के जन्मतः कुटुम्ब से सारे सम्बन्ध समाप्त हो गये थे। प्रार्थी / प्रतिवादी का मुरली की सम्पत्ति से कोई लेना देना नहीं है। वादग्रस्त आराजी के 1/2 भाग पर मुरली हाल आबाद काबिज काश्त रहा है मुरली की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान फूलचन्द, सीताराम, पारा देवी छीमादेवी अपने हिस्से अनुसार हाल आबाद काबिज काश्त है। रामेश्वर भगवाना के गोद जाने के बाद भगवाना के हिस्से पर काबिज काश्त रहा हैं तथा वर्तमान में निवास कर रहा है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

फूलचन्द बनाम रामेश्वर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/4/2022		

प्रार्थी / प्रतिवादी ने गोदपत्र को छुपाते हुए मुरली की समस्त में वारिस का नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया जबकि वह बाल्यवस्था में हिन्दू रिती रिवास के अनुसार भगवाना के गोद चला गया था एवं गोद का अनुष्ठान का आयोजन किया गया था एवं गुडपतासे का विरण किया गया था। अप्रार्थीगण प्रार्थी / प्रतिवादी के बाल्यवस्था में ही मुरली एवं उनकी धर्मपत्नी पारा देवी ने हिन्दू रीती रिवाज के अनुसार गोद दे दिया था, जिसके पश्चात काफी वर्ष बाद गोदनामे को लेकर विवाद ना हो इसलिये गोदनामा पंजीबद्ध करवाया गया था रामेश्वर विधिपूर्वक गोद चख्ला गया था जिसके पश्चात रामेश्वर का मुरली से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं रहा है। इसके पश्चात प्रार्थी / प्रतिवादी का राशनकार्ड व निर्वाचक नामावली में रामेश्वर की वल्दीयत भगवाना अंकित हो गया था। अप्रार्थी / वादी की ओर निवदन किया गया कि रजस्ट्रर्ड गोदपत्र को किसी सिविल न्यायालय में आक्षेपित नहीं किया गया है विधि अनुसार रजिस्ट्रर्ड गोदनामा कानूनी रूप से प्रभावी है। तथा प्रार्थी / प्रतिवादी के द्वारा अभी तक रजिस्ट्रर्ड गोदनामा को निरस्त नहीं करवाया गया है इसलिए प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावें। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 16/09/2022 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद विधि से वर्जित होने के आधार पर धारित करते हुए ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन ईस्तकरारहक़ इन्द्राज दुरुस्ती के वाद को सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 स्वीकार करते हुये ख़ारिज किया गया है, जबकि अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया संक्षिप्त विवेचन प्रकरण के गुणावगुण के सन्दर्भ में रहा है | विधि के प्रावधानों के अनुसार ईस्तकरार हक़ व इन्द्राज दुरुस्ती के वाद को तनकीवार साक्ष्य-सबूत का विस्तृत विवेचन करते हुये निस्तारित किया जाना आवशयक होता है एवं यदि कोई क़ानूनी बिन्दु जाहिर होता हो तो उससे सम्बन्धित अतिरिक्त तनकी कायम कर उसका विधिसम्मत निस्तारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

फूलचन्द बनाम रामेश्वर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/4/2022		

किया जाना न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत होता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर प्रकरण के गुणावगुण पर संक्षिप्त विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर ईस्तकरारहक़ व इन्द्राज दुरुस्ती के वाद को ख़ारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारित किया जाना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16/09/2022 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचन के अनुसार विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों का अनुसरण कर तनकीवार विस्तृत निर्णय व डिक्री पारित करते हुये वाद का गुणावगुण पर निस्तारण करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर